न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 03/2024

राजस्व वाद :- अन्तर्गत धारा 88,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. पूंजराजसिंह पुत्र पेंपसिंह जाति राजपूत निवासीगण आमला तहसील लोहावट
2. प्रतापसिंह पुत्र पेंपसिंह जाति राजपूत निवासीगण आमला तहसील लोहावट
3. आनन्दसिंह पुत्र पेंपसिंह जाति राजपूत निवासीगण आमला तहसील लोहावट
4. भंवरकंवर पत्नी पेंपसिंह जाति राजपूत निवासीगण आमला तहसील लोहावट

वादीगण.......

बनाम

1. तहसीलदार लोहावट

प्रतिवादी.........

उपस्थित :-

1. श्री सुमेरसिंह चौहान अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः- 30.05.2024

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि ग्राम आमला पटवार हल्का आमला खसरा संख्या 249 रकबा 37.6519 खसरा संख्या 223 रकबा 7.7214 हैक्टेयर खसरा संख्या 229 रकबा 13.6784 हैक्टेयर खसरा संख्या 247 रकबा 0.1052 हैक्टेयर खसरा संख्या 248 रकबा 0. 2185 हैक्टेयर काश्त भुमि वादीगण एव अन्य सह खातेदारों के कब्जा काश्त खातेदारी अधिकारों की स्थित है। वादग्रस्त भुमि वादीगण की पुश्तैनी भुमि है जो पूर्व में राजस्व रेकार्ड में वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता वादी संख्या 4 के पति पेंप सिंह के बोलचाल से प्रचलित नाम पदम सिंह के नाम दर्ज रही थी पेंप सिंह उर्फ पदम सिंह अनपढ व्यक्ति थे उन्हे कानून की बारीकियों की जानकारी नहीं थी इस कारण पेंप सिंह जी राजस्व रेकार्ड में अपना सही नाम पेंप सिंह दर्ज नहीं करवा पाये थें पेंप सिंह जी के देहांत के समय वादीगण संख्या 1 से 3 नाबालिग थे और उनकी माता एक पर्दानसीन महिला होने के कारण राजस्व रेकार्ड में विरासतनामा के समय वादी संख्या 1 से 3 की वल्दियत गलत नाम पदमसिंह यथावत रह गयी, कालान्तर में वादी संख्या 01 भारत के सेना में भर्ती हो गया और वादी संख्या 2 व 3 भी अनपढ़ होने की वजह से राजस्व रेकार्ड में अपने पिता का नाम संशोधित नहीं करवा सके वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता व वादी संख्या 4 के पति का सही एवं शुद्ध तथा वास्तविक नाम पेंप सिंह है जिसकी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के वादीगण मुस्त हक है जिस हेतु यह दावा पेश है। वादीगण संख्या 1 से 3 के सभी दस्तावेजों में पिता व पति का नाम पेंप सिंह दर्ज है जबकि वादग्रस्त काश्त भुमि व राजस्व रेकार्ड में पेंप सिंह के स्थान पर पदम सिंह दर्ज होने से वल्दियत की भिन्नता के कारण वादीगण वादग्रस्त काश्त भुमि का कृषि विद्युत आवेदन जमा नहीं करवा पा रहे है और न ही किसान केडिट कार्ड ऋण ले पा रहे है वादीगण को प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना की सहायता राशि नहीं प्राप्त हो रही है वादीगण को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है वादीगण संख्या 1 से 3 अपने पिता का नाम पदम सिंह के स्थान पेंप सिंह घोषित करवाने व तदनुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवाकर पेंप सिंह दर्ज करवाने के कानूनी अधिकारी है जिस हेतु यह दावा पेश है। वादीगण ने दिनाक 01.02.2024 को प्रतिवादी से मिलकर वादग्रस्त भुमि के राजस्व रिकार्ड में उनकी वल्दियत पदम सिंह

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner

के स्थान पर पैप सिंह दर्ज करने हेतु संशोधन करने का निवेदन किया तो उनके द्वारा तत्समय न्यायालय में कार्यवाही करने का कहा गया है इसलिये यह वाद पेश है वादीगण के वाद के अन्य सह खातेदारों के हक हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अर्थात अन्य सह खातेदार वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं है इसलिये उन्हें पक्षकार नहीं बनाया जाकर यह वाद वादीगण की ओर से पेश है। वादकारण दिनांक 01.02.2024 को वादीगण द्वारा राजस्व रेकार्ड में संशोधन करने का प्रतिवादी से निवेदन करने पर उनके द्वारा न्यायालय द्वारा में कार्यवाही करने पर, वादग्रस्त ग्राम आमला तहसील लोहावट में पैदा होना इसलिये वाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार है।

अतः निवेदन है कि ग्राम आमला पटवार हल्का आमला खसरा संख्या 249 रकबा 37.0519 खसरा संख्या 223 रकबा 7.7214 हैक्टेयर, खसरा संख्या 229 रकबा 13 6784 हैक्टेयर खसरा संख्या 247 रकबा 0.1062 हैक्टेयर, खसरा संख्या 243 रकबा 0.2105 हैक्टेयर स्थित काश्त भूमि की राजस्व रेकार्ड वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता वादी संख्या 4 के पति का नाम पदम सिंह के स्थान सही एवं वास्तविक नाम पैप सिंह घोषित करवाकर, तदनुसार, राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने की डिक्री सादिर फरमावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार लोहावट ने वाद पत्र का जवाब मय जांच रिपोर्ट पेश किया। जवाब मे बताया कि वादीसंख्या 1 से 3 के पिता का नाम दस्तावेजों में पैपसिंह दर्ज है। पदमसिंह व पैपसिंह एक ही व्यक्ति था। वादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता के नाम की शुद्धि कि जाकर, पैपसिंह किया जाता है जो प्रतिवादी को कोई इतराज नहीं है। अतः में वाद में वर्णित खसराजात में वादीगण की वल्दीयत पदमसिंह की जगह पैपसिंह की जाने की अनुशंषा की है।

प्रतिवादी के जवाब दावा से किसी प्रकार की तनकी नहीं बनने पर, वादी साक्ष्य कलमबद्ध की गई। वादीगण की ओर से वादी संख्या 1 पूनमराजसिंह के बयान पीडब्लू 1 के रूप में व पड़ौसी खातेदार किशनसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी आमला के बयान पीडब्लू 2 के रूप में कलमबद्ध किये गये व वादीगण की ओर से अपने दस्तावेजात प्रदर्श 1 से 18 तक प्रदर्शित करवाए गए।

पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई। बहस में अधिवक्ता वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता व वादी संख्या 4 के पति का बोलचाल का नाम पदमसिंह दर्ज है। जबकि उनका वास्तविक व सही नाम पैपसिंह है। जिसके संबंध में वादीगण ने अपने दस्तावेज प्रदर्शित करवाए है। वादीगण का वाद दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों से साबित है। प्रतिवादी तहसीलदार लोहावट ने भी राजस्व रिकार्ड में पदमसिंह के स्थान पर पैपसिंह दर्ज करने की अनुशंषा की है। इसलिए वादीगण का वाद डिक्री फरमावे।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण के पहचान संबंधी दस्तावेज प्रदर्श 3 से लेकर प्रदर्श 14 तक में वादीगण की वल्दीयत अर्थात वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता व वादी संख्या 4 के पति का नाम पैपसिंह दर्ज होना पाया जाता है। वादीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की कृषि भूमि वर्तमान प्रमाणित जमाबंदी प्रदर्श 1 व 2 में वल्दीयत पैपसिंह के बजाय पदमसिंह दर्ज होना पाया जाती है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की वल्दीयत पदमसिंह के बजाय पैपसिंह दर्ज करने की अनुशंषा करने वादीगण के साक्ष्य पीडब्लु 1 पूनमराजसिंह व पीडब्लु 2 किशनसिंह के बयानों और वादीगण के दस्तावेजी साक्ष्यों पर बाद मनन व अवलोकन से वादीगण का वाद साबित होने से एंव वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार योग्य व डिक्री योग्य पाया जाता है।

सहायक कलक्टर
[illegible] जिला फलोदी

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है ग्राम आमला पटवार हल्का आमला के खसरा संख्या 249 रकबा 37.8519 हैक्टेयर, खसरा संख्या 223 रकबा 7.7214 हैक्टेयर खसरा संख्या 229 रकबा 13.8184 हैक्टेयर खसरा संख्या 247 रकचा 0.1052 हैक्टेयर खसरा संख्या 248 रकबा 0.2185 हैक्टेयर स्थित काश्त भुमि के राजस्व रेकार्ड में वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता वादी संख्या 4 के पति का नाम पदम सिंह के स्थान पर पेप सिंह अंकित किया जाता है। तहसीलदार लोहावट को आदेश किया जाता है कि आदेशानुसार राजस्व रेकॉर्ड में निर्णय की पालना सुनिश्चित करावें। शेष प्रक्रिया यथासमय होगी। डिक्री पर्चा जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर रेकार्ड में जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 30.5.2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट * जिला फलोदी *

(पीठासीन अधिकारी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लोहावट

डिग्री बमुकदमें इस्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट

बइजलासः- श्री मांगीलाल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 03/2024

1. पूंजराजसिंह पुत्र पैंपसिंह जाति राजपूत निवासीगण आमला तहसील लोहावट
2. प्रतापसिंह पुत्र पैंपसिंह जाति राजपूत निवासीगण आमला तहसील लोहावट
3. आनन्दसिंह पुत्र पैंपसिंह जाति राजपूत निवासीगण आमला तहसील लोहावट
4. भंवरकंवर पत्नी पैंपसिंह जाति राजपूत निवासीगण आमला तहसील लोहावट

वादीगण......

बनाम

1. तहसीलदार लोहावट

प्रतिवादी.........

वाद अन्तर्गत धारा 88,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी अधिवक्ता श्री सुमेरसिंह चौहान मिनजानिब मुद्दई व श्री पैरोकार सरकार मिनजानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम आमला पटवार हल्का आमला के खसरा संख्या 249 रकबा 37.6519 हैक्टेयर खसरा संख्या 223 रकबा 7.7214 हेक्टेयर खसरा संख्या 229 रकबा 13.6784 हैक्टेयर खसरा संख्या 247 रकचा 0.1052 हैक्टेयर खसरा संख्या 248 रकबा 0.2185 हैक्टेयर स्थित काश्त भुमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण संख्या 1 से 3 के पिता वादी संख्या 4 के पति का नाम पदम सिंह के स्थान पर पेंप सिंह घोषित किया जाता है। तहसीलदार लोहावट को आदेश दिया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में निर्णय की पालना सुनिश्चित करावें। शेष प्रविष्ठिया यथावत रहेगी।

नीज.....X. मुबलिग......X. बाबत........X.. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह...X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से बसूलयाबी तक..X.. को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....30.5.2024.... को जारी की गई।

मोहर

मांगीलाल (आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर, लोहावट

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरकात		
मिजान			मिजान		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज किया जावे।

Scanned with CamScanner